भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3552

गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का विनिर्माण</u>

3552. श्री जुगल किशोर शर्मा:

श्रीमती गीता कोडा:

श्रीमती रीती पाठक:

श्री दिलीप शइकीया:

श्री रमेश चन्द्र कौशिक: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता/सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कम लागत पर वित्त उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के अलावा घरेलू निजी कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने अक्षय ऊर्जा उपकरणों की स्वदेशी निर्माण क्षमता/सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे:

(i) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स): इस योजना में पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी दी जाती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20 प्रतिशत तथा गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के लिए 25 प्रतिशत। योजना में आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31.12.2018 तक थी। इस योजना में अन्य के साथ साथ सौर पीवी सेल, सौर पीवी मॉड्यूल, ईवीए, बैकशीट और सौर ग्लास के लिए प्रोत्साहन शामिल थे।

(ii) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक खरीद में 'मेक-इन-इण्डिया' को वरियता: 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरियता) आदेश' के कार्यान्वयन के जरिए सरकार/सरकारी संस्थाओं के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित सौर पीवी मॉड्यूलों और स्वदेशी रूप से निर्मित सौर इन्वर्टरों की खरीद तथा उपयोग को अनिवार्य किया गया है।

(iii) स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कुछ वर्तमान योजनाओं नामत: सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम तथा ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II के अन्तर्गत, जिनमें कि सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वदेशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों तथा मॉड्यूलों को प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(iv) सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क लगाना: सरकार ने दिनांक 01.04.2022 से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने की घोषणा की है।

(v) उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: एमएनआरई ने सौर मॉड्यूलों के विक्रय पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करके उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों की समेकित निर्माण इकाइयों की स्थापना के सहायतार्थ 4,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए थे। पात्र सफल बोलीदाताओं को आवंटित धनराशि की सीमा तक (अर्थात 4,500 करोड़ रु. के वर्तमान योजना परिव्यय) आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। दिनांक 01 फरवरी, 2022 को बजट 2022-23 में 19,500 करोड़ रु. के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की गई है।

(vi) पवन क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन: सरकार ने मॉड्यूलों तथा निर्माताओं की संशोधित सूची की एक प्रणाली बनाई है तथा केवल पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सूचीबद्ध निर्माताओं द्वारा निर्मित उपकरण का ही उपयोग किए जाने की अनुमति है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि हब और नेसल एसेंबली/निर्माण सुविधा भारत में ही होनी चाहिए। 70 प्रतिशत से अधिक उपकरण भारत में निर्मित किए जाते हैं।

(ग) और (घ): भारत में भारतीय अक्षय ऊर्जा निर्माण पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए, एमएनआरई के नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए एक ऋण प्रदान करती है।

इसके अलावा, एमएनआरई, भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा उपकरण के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ उपाय उक्त (क) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ङ) और (च): एमएनआरई ने ऐसे सौर पीवी मॉड्यूलों के विक्रय पर उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करके, उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूलों की निर्माण इकाइयों की स्थापना के सहायतार्थ 4,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए थे। यह योजना देश में नवीनतम अत्याधुनिक सौर पीवी निर्माण प्रौद्योगिकियां लाने में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि सौर पीवी निर्माताओं को अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि अधिक दक्ष और टिकाऊ सौर पीवी मॉड्यूलों का निर्माण किया जा सके और लागत कम करने के लिए अन्य नवोन्मेषी तकनीकी उपाय भी किये जा सकें।

इसके अलावा, एमएनआरई देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के माध्यम से "अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम" योजना में सहायता करता है। एमएनआरई उद्योग के सहयोग से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास प्रस्तावों को बढ़ावा देता है तथा सरकारी/गैर-लाभअर्जक अनुसंधान संगठनों को 100 प्रतिशत तक और उद्योग, स्टार्ट-अप, निजी संस्थानों, उद्यमियों और निर्माण इकाइयों को 50-70 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में 62.47 करोड़ रु. की राशि का व्यय किया गया है।

वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय करोड़ रु. में
2019-20	15.00
2020-21	36.47
2021-22	11.00

*****